

जनार्दन नरसिम्हा नायक

बनाम

बालवांट वैकटेश कुलकर्णी और ए. एन. आर.

7 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.]

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872/ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963:

प्रत्यर्था सं. 1 द्वारा दायर विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद-प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दूसरी अपील-अपील पर अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, जो गुण-दोष पर नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 निर्णय/आदेश।

प्रत्यर्था संख्या 1, वादी ने बिक्री अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक वाद दायर किया था। वादे का फैसला निचली अदालत ने किया था और अपील को प्रथम अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था। दूसरी अपील को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार और कारण का संकेत दिए अनुमति दी गई थी; और प्रथम अपीलीय न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि पक्षों के बीच बिक्री होने के बाद बिक्री के समझौते को प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थियों ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय खुशी से नहीं कहा गया है, फिर भी संक्षेप में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को दूषित पाया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारण किया-

केवल इसलिए कि विचारण न्यायालय के पास गवाह को देखने का अवसर था जो यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय की धारणा पूर्व-कल्पित थी। उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य और संबंधित पक्ष का विश्लेषण किए बिना भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया था। इसलिए, गुण-दोष पर नए सिरे से निपटारे के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।[पैरा 6 और 7]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2000 की सिविल अपील सं. 5807

(आर. एस. ए. सं. 733/1992 में बेंगलूर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 15.7.1998 के निर्णय और अंतिम आदेश से।)

अपीलार्थी की ओर से किरण सूरी और एस. जे. अमित।

उत्तरदाताओं के लिए विजय कुमार।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को प्रतिवादी नं.1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत (संक्षेप में 'सी. पी. सी.')

चुनौती दी गई है।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी है और उसने दिनांक 31.1.1972 के बिक्री अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालना के लिए वाद दायर किया था। मुकदमे का फैसला निचली अदालत ने किया था और अपील को प्रथम अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था। द्वितीय प्रतिवादी-प्रतिवादी नं 2 ने यह रुख अपनाया कि वह बिक्री के समझौते के बाद खरीददार था, उसे समझौते की कोई जानकारी नहीं थी और उसे बिक्री की कोई सूचना नहीं थी और वह बिक्री के पहले के समझौते से बाध्य नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी नं 2 को समझौते की जानकारी थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि या तो उसकी बदनियती थी या उन्हें सूचना थी। दूसरी अपील में स्वीकारोत्तिक समय कानून का निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया गया था:

"क्या न्यायालय केवल सहायक आयुक्त के आदेश पर भरोसा करना न्यायोचित था, जिन्होंने भूमि की बिक्री की अनुमति को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय लिया?"

3. इसके बाद निम्नलिखित टिप्पणियों/निष्कर्षों के साथ दूसरी अपील की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा, "जब निचली अदालत साक्ष्य के आधार पर गवाह को चौकड़ी में देखने के निष्कर्ष पर पहुंची, तो अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार किए बिना कानूनी स्थिति पर चर्चा की और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंची, जिसे मुझे इस आधार पर दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है कि वे मामले के तथ्यों से वांछित नहीं हैं। अपीलीय न्यायालय के पूरा दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि पक्षकारों के बीच बिक्री होने के बाद बिक्री के समझौते को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण निश्चित रूप से गलत है और इस तरह की पूर्व-विचारित धारणा के तहत, अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया दृष्टिकोण जिसके परिणामस्वरूप निर्णय गलत तरीके से दिया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरी अपील को बिना कोई आधार और कारण बताए अनुमति दी गई थी और निष्कर्ष भी बिना किसी आधार के हैं। यह गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के पूरे दृष्टिकोण को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर

दिया गया था कि पक्षों के बीच बिक्री होने के बाद बिक्री के समझौते को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय के फैसला कटु है, फिर भी संक्षेप में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को दूषित पाया है।

6. ऊपर उद्धृत उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पूरी तरह से दिमाग का गैर-अनुप्रयोग था। व्यावहारिक रूप से इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार क्यों लिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश एक पूर्व-कल्पित दिमाग के कारण था। केवल इसलिए कि विचारण न्यायालय के पास गवाह को देखने का अवसर था जो यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय की धारणा पूर्व-कल्पित थी। उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य और संबंधित पक्ष का विश्लेषण किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

7. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं, गुण-दोष पर नए सिरे से निपटारे के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते

हैं कि वह दूसरी अपील का जल्द से जल्द निपटान करे, अधिमानतः अगस्त, 2007 के अंत तक।

8. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

एसकेएस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।